10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

<u>न्यायालय, श्रीमान राजस्व मंडल, ग्वालियर बैंच भोपाल.</u>

प्रकरण क्रमांक R-1538-PBR/14

श्रीमती गीताबाई पत्नी विजय कुमार अग्रवाल

निवासीजी.एन.रोड, आजाद वार्ड सिवनी

जिला सिवनी ------------------------------------ आवेदिका

विरुद्ध

1– श्रीनिवास पिता चन्द्रभूषण बंसल

2– श्रीकाना पिता चन्द्रभूषण बंसल

अनंत वस्त्र भंडार,मेन रोड नगरपालिका हरदा के सामने

हरदा तहसील व जिला हरदा ---------------------- अनावेदकगण

<u>रिविजन अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता</u>

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका अपील क्रमांक 76–/2006 वर्ष 2011–12 ग्राम करताना तहसील टिमरनी जिला हरदा श्रीमती गीताबाई विरुद्ध श्रीनिवास व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21–12–2012 से दुखी होकर ठोस तथ्यों एवं आधारों पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है :–

श्री संजीव शर्मा अभिभाषक क्र. केन्द्र भोपाल प्रस्तुत 16/5 19.5.14

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला हरदा

प्रकरण कमांक निग0 1538 –पीबीआर / 2014

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–6–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी टिमरनी के आदेश दिनांक 21.12.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, परंतु अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं कर अपर कलेक्टर की आदेशिकाओं की सत्य प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई है । जबकि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 48 के तहत विवादित आदेश की सत्य प्रतिलिपि निगरानी मेमों के साथ प्रस्तुत की जाना आज्ञापक प्रावधान है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया संहिता की धारा 48 के उल्लंघन में प्रस्तुत किये जाने के कारण अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	